

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद।

पत्र संख्या ३३९५/एस०टी०-डी०एम०/२०२०

दिनांक: ०५ मई, २०२०

आदेश

शासनादेश संख्या ३८१/२०२०/सीएक्स-३ दिनांक ०३-०५-२०२० के द्वारा कोविड-१९ महामारी के रोकथाम के सम्बन्ध में देशव्यापी लॉकडाउन दिनांक ०४-०५-२०२० से दो सप्ताह तक प्रभावी रहने के दिशा-निर्देश जारी किये हैं। उक्त दिशा-निर्देशों के तहत जनपद गाजियाबाद में निम्न कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है :-

गतिविधियों का नाम	संचालन हेतु प्रक्रिया
उद्योग/औद्योगिक इकाईयों	उद्योग/औद्योगिक इकाईयों के संचालन के लिए dic.covidbharat.com पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन ही अनुमति प्राप्त होगी। अनुमति प्राप्त करने के लिए कार्यालय में आना आवश्यक नहीं है। औद्योगिक इकाईयों के संचालन हेतु उपायुक्त उद्योग केन्द्र जिनका मोबाइल नं० ९४५७८३९६८४ है, को प्रभावी बनाया गया है। औद्योगिक इकाईयों के संचालन में यदि किसी प्रकार की जिज्ञासा हो तो वह उपायुक्त उद्योग से जानकारी प्राप्त कर सकता है।
दुकानें/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	दुकानें/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (केवल स्टेप्ड एलोन) के लिए ऑनलाइन आवेदन addllcupgz@gmail.com पर कर सकते हैं। आवेदन पत्र में केवल अपना काम प्रारम्भ करने की सूचना देनी होगी और इसके अलावा किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। शहरी क्षेत्र में (नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत) कन्टेनमेंट जॉन के बाहर कॉलोनी के अन्दर की दुकानें व आवासीय परिषद के अन्दर स्थित आवश्यक, गैर आवश्यक सेवा/वस्तु की दुकानों के खोलने की अनुमति होगी। शहरी क्षेत्र में (नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत) सीमाओं के अन्तर्गत समस्त मॉल, मार्केट, काम्पलेक्स बन्द रहेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/लोक निर्माण विभाग के मार्ग पर स्थित दुकानों की खोलने की अनुमति नहीं होगी। इस सम्बन्ध में यदि किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा हो तो उसके सम्बन्ध में उप अमायुक्त जिनका मोबाइल नं० ९४५०२०७२६६, ८२८७०१९६४६, ९४१५२९६६४२, ७९८३०३८१६०, ९८१८१४५४२९, ९४१५८०६४७० है, से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्र में (नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत) के बाहर के क्षेत्र की समस्त दुकानों आवश्यक एवं गैर आवश्यक के खाले जाने के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होगी। समस्त दुकानें आवश्यक/गैर आवश्यक खुलेंगी। जिला पंचायत राज अधिकारी जिनका मोबाइल नं० ९३०५५९८१९७ तथा जिला विकास अधिकारी जिनका मोबाइल नं० ९७५९९७१२२३ है, के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में आवश्यक/गैर आवश्यक जो दुकाने खोली जायेंगी, उनका नाम एवं सम्बन्धित दुकान में किस वस्तुओं का विक्रय किया जा रहा है, इसकी सूची तैयार करेंगे और ग्रामीण क्षेत्र में निगरानी रखेंगे, इनके साथ-साथ खण्ड विकास अधिकारी रजापुर, मुरादनगर, भोजपुर एवं लोनी सहयोग करेंगे।

निर्माण गतिविधियों	<p>निर्माण गतिविधि के सम्बन्ध में <a href="http://gdaghaziabad.in/wp-content/uploads/2020/05/SOP.pdf">http://gdaghaziabad.in/wp-content/uploads/2020/05/SOP.pdf</a> पर आवेदन कर सकते हैं, इसके प्रभारी सधिय, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जिनका मोबाइल नं० 8826662850 है। शहरी क्षेत्र में निर्माण सम्बंधी गतिविधियों केवल In-situ निर्माण अर्थात् जहाँ साईट पर श्रमिक उपलब्ध हो और किसी भी प्रकार से किसी भी श्रमिक को साईट के बाहर से लाने की आवश्यकता ने पढ़े। रिन्यूवल इनजी से सम्बन्धित प्रोजेक्ट के निर्माण की अनुमति के सम्बन्ध में उक्त पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों की अनुमति रहेंगी किसी भी आवेदन पत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी। खण्ड विकास अधिकारी रजापुर, मुरादनगर, भोजपुर एवं लोनी अपने-अपने क्षेत्रों में सतत निगरानी रखेंगे।</p> <p>शहरी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की निर्माण सम्बंधी कोई जिज्ञासा हो तो उसके बारे में सधिय, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से प्राप्त की जा सकती है।</p>
सरकारी/निजी कार्यालय	<p>सरकारी/निजी कार्यालयों को खोले जाने के सम्बन्ध में निर्देश है। इसके लिए सम्बन्धित कार्यालय अध्यक्ष अपने कर्मचारियों के पास के लिए 33 प्रतिशत कर्मचारियों की सूची तैयार करके कर्मचारियों के पास हेतु Epassgzb.in पर आवेदन कर सकता है। सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्षों को पास प्राप्त करने के लिए कार्यालय में आना आवश्यक नहीं है। कार्यालयाध्यक्षों को ऑनलाइन ही पास उपलब्ध करा दिये जायेंगे। इसके प्रभारी अपर जिलाधिकारी (मू०३०) जिनका मोबाइल नं० 7017703066 है। यदि किसी कार्यालयाध्यक्ष को कोई जिज्ञासा हो तो वह इनसे जानकारी प्राप्त कर सकता है।</p> <p>निजी कार्यालयों के कार्मिकों को घर से कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। यदि अति आवश्यक होने पर खोलने की अनुमति हेतु उप श्रमायुक्त गाजियाबाद की ई-मेल आईडी addllcupgz@gmail.com पर आवेदन किया जायेगा। कोई जिज्ञासा हो तो इन नम्बरों पर सम्पर्क किया जा सकता है। 9450207266, 8287019646, 9415296642, 7983038160, 9818145429, 9415606470</p>
परिवहन	<p>कन्टेनरमेंट क्षेत्र के बाहर जनपद की सीमा के अन्तर्गत टैक्सी/कार/सेवाएं केवल एक ड्राइवर व दो यात्रियों सहित अनुमति उपरान्त अनुमत्य होगी, इसके सम्बन्ध में परिवहन विभाग के पोर्टल rtogg-up@nic.in पर आवेदन कर सकता है, सम्बन्धित आवेदनकर्ता को कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं होगी, इसके प्रभारी सहायक सम्मानीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) होंगे। यदि किसी को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो इनका मोबाइल नं० 8447304858 है।</p>
आवकारी	<p>देशी/विदेशी मदिरा आदि की विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में जिला आवकारी अधिकारी गाजियाबाद को प्रभारी अधिकारी नामित किया गया है, जिनका मोबाइल नं० 7985386448 है, से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देशी/विदेशी मदिरा की विक्री के सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिये गये हैं तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु पर्याप्त पुलिस</p>

बल की व्यवस्था कर दी गयी है। यदि इसमें किसी प्रकार की जिज्ञासा हो तो जिला आबकारी अधिकारी, गाजियाबाद से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

उपरोक्त आदेश जनपद गाजियाबाद के सभी हॉटस्पाट/कन्टेनमेंट जोन में लागू नहीं होंगे। हॉटस्पाट एवं कन्टेनमेंट जोन में पूर्व की तरह प्रतिबन्ध लागू रहेगा। हॉटस्पाट की सूची संलग्न है। उपरोक्त जारी सभी आदेश कोरोना प्रोटोकॉल के अन्तर्गत लागू किये जायेंगे, जिनका अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

इसके अतिरिक्त जनपद गाजियाबाद में तहसील मोदीनगर में उप जिलाधिकारी मोदीनगर को Incident commander बनाया गया है, जिनका मोबाइल नं० 9415034326 है, तहसील लोनी में उप जिलाधिकारी, लोनी को Incident commander बनाया गया है, जिनका मोबाइल नं० 9412288286 है, तहसील सदर में उप जिलाधिकारी, सदर को Incident commander बनाया गया है, जिनका मोबाइल नं० 8130653098 है। इसके अतिरिक्त नगर मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद को शहर गाजियाबाद में थाना कविनगर, सिहानीगेट एवं कोतवाली का Incident commander बनाया गया है, जिनका मोबाइल नं० 6306805595 है, अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम, गाजियाबाद को शहर गाजियाबाद में थाना साहिबाबाद, टीलामोड़ का Incident commander बनाया गया है, जिनका मोबाइल नं० 9140436755 है, अपर नगर मजिस्ट्रेट, द्वितीय गाजियाबाद को शहर गाजियाबाद में थाना इन्दिरापुरम, खोदा, कौशाम्बी एवं लिंकरोड का Incident commander बनाया गया है, जिनका मोबाइल नं० 9450266195 है, से जानकारियों प्राप्त की जा सकती है।

(अजय शंकर पाण्डेय)  
जिला मजिस्ट्रेट,  
गाजियाबाद।

#### प्रतिलिपि :-

- 1— उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
- 2— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद।
- 3— संधिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
- 4— अपर जिलाधिकारी (भूजा०)/प्रशासन/नगर/वित्त एवं साजस्व, गाजियाबाद।
- 5— नगर मजिस्ट्रेट/समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट/समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद।
- 6— जिला विकास अधिकारी, गाजियाबाद।
- 7— उप श्रमायुक्त, गाजियाबाद।
- 8— उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग केन्द्र, गाजियाबाद।
- 9— जिला आबकारी अधिकारी, गाजियाबाद।
- 10— सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), गाजियाबाद।

जिला मजिस्ट्रेट,  
गाजियाबाद।